

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला अलीराजपुर के अन्तर्गत वनमंडल अलीराजपुर के वन परिक्षेत्र सोण्डवा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 849, पी.एफ. 704, 705, 698, 709, 710, 679, 697 707, 711, 682 एवं 681 का रकबा 14.958 हेक्टेयर वनभूमि अलीराजपुर लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 09/03/10

स्थान: भोपाल

AR

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)